न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— कुसुमलता चोहान्, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 28./2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राजु पुत्र चोलाराम जाति प्रजापत निवासी बासना तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता प्रार्थी उप0
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी उप0

—: निर्णय :—

दिनांक — 09/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बासना द्वितीय तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान वर्तमान खसरा नंबर 1202 रकबा 1.3900 है. खसरा नम्बर 194 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 742 रकबा 0.4700 हैक्टर, कुल 03 कुल रकबा 2.5400 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी की स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से का उपयोग— उपभोग लगातर बिना किसी बाधा अडचन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिल काश्त है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज प्रार्थी के वल्दीयत दस्तावेज का अवालेकन किये बगेर चोलाराम के स्थान पर पीराराम का अवलोकन किये बगैर चोलाराम के स्थान पर पीराराम दर्ज करने में त्रूटि की है। बल्कि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम चोलाराम ही है। उक्त त्रूटि को दुरूस्त करवाकर प्रार्थी के पिता की वल्दियत पीराराम के स्थान पर चौलाराम दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्ये प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना अंकित कर अन्य पैराज कानूनी होना अंकित किया है।

तहसीलदार सोजत से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट पेश कर वांछित ईश्तदुआ अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

बहस अधिवक्ता उभयपक्षीय सुनी गई। बहस के दोरान अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में सहवन से राजस्व कर्मचारियों के द्वारा पेन ऑफ मिस्टेक व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के पिता का नाम चौलाराम के स्थान पर पीराराम दुरूस्त इन्द्राज किए जाने की ईशतदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सपुष्टि होती है। लिहाजा वादस्थ भूमि में प्रार्थी के पिता की वल्दियत दुरूस्त कर पीराराम के स्थान पर चौलाराम इन्द्राज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासना द्वितीय तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान वर्तमान खसरा नंबर 1202 रकबा 1.3900 है. खसरा नम्बर 194 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 742 रकबा 0.4700 हैक्टर, कुल 03 कुल रकबा 2.5400 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम पीराराम के स्थान पर चोलाराम दुरूस्त किये आदेश दिए जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09/05/2? को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner